न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

c.c. issued vide No- 509 dt.- 26/11/13 27/12/13 H.A.

c.c. issued vide No- 546 dt.- 17/12/13. 03/01/14 H.A.

राम गुलाम मुखिया

वनाम

राम स्वरूप मुखिया

वाद संख्या–49 / 2013–14

वाद का प्रकार–वेदखली

आदेश

15.11.2013 बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी पर वादी को प्रश्नगत भूमि से वेदखल करने का आरोप लगया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा जगदीशपुर थाना वो अंचल बिरौल जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
487 पु0	464	1 कट्ठा	उ0–राम स्वरूप मुखिया
		15 धुर	द0–ताराकान्त ठाकुर
			पु0–पोखर
			प0–बॉध

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वादी का एक भूखण्ड जिसका मौजा जगदीशपुर थाना वो अंचल बिरौल दरभंगा के खाता नं0 487 खेसरा नं0 464 रकवा 1 कट्ठा 15 धुर है जो वादी का सम्पत्ति है। वादी को यह भूखण्ड बजरिये बन्दोबस्ती बिहार सरकार से वर्ष 1961–62 ई0 में केश नं0 16 / 1961–62 के द्वारा वादी के पिता स्व0 कारी मुखिया के नाम है। उक्त भूखण्ड का जमाबंदी भी वादी के पिता स्व0 कारी मल्लाह पिता स्व0 दशरथ मल्लाह के नाम कायम है जिसका जमाबंदी नं0 11 है वादी बिहार सरकार के राजस्व कर अदा कर अद्यतन राजस्व रसीद प्राप्त करते चले आ रहे है। वर्षो से इस भूखण्ड पर वादी का शांतिपुर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। अनुमंडल दण्डाधिकारी बिरौल ने उपरोक्त भूमि पर 144 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही प्रारंभ किया किसका मुकदमा संख्या–200 / 12 था। 144

द0 प्र0 सं0 के तहत अनुमण्डल दण्डाधिकारी बिरौल ने प्रतिवादीगण के उस भूखण्ड पर जाने या किसी भी प्रकार के कार्य करने से रोक लगाया। प्रतिवादीगण न्यायालय की आदेश का अवहेलना कर उपरोक्त भूखण्ड पर जाकर निर्माण कार्य किया जिस कारण अनुमण्डल दण्डाधिकारी बिरौल ने प्रतिवादी के विरूध न्यायालय आदेश की अवहेलना की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर सूचना निर्गत किया जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

वहीं दुसरी तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण के पुर्वज के समय से ही मकान बना हुआ है जिसमे वे लोग सपरिवार रह रहे है जो प्रतिवादीगण के शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा हैं। उक्त भूखण्ड पोखर का महाड है जिस पर बहुत सारे लोगो का मकान बना हुआ है और सबका अपना अपना दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण का मकान है सभी भूमिहीन मजदुर आदमी है उक्त भूमि के लिए अंचल अधिकारी महोदय बिरौल के यहॉ आवेदन दे चुके है कि हम प्रतिवादीगण को मकान के अलावे दुसरा कोई भूमि नही है इस लिए हम प्रतिवादीगण के नाम से बन्दोबस्ती पर्चा हेतु आवेदित किये है जिस आवेदन पर अंचल अधिकारी महोदय, बिरौल द्वारा जॉच प्रतिवेदन मॉगा गया है। हाल सर्वे खतियान जो प्रकाशित हुआ है जो मौजा जगदीसपुर, थाना नं0 271, खाता 679 ,खेसरा 711, रकवा 03 डि0 खेसरा 712, रकवा 03 डि0 खेसरा 713, रकवा 02 डि0 खेसरा 714 रकवा 02 डि0 अनावाद सर्व साधारण तथा कैफियत में महार दर्ज है किसी का दखल कब्जा नही दिखाया गया है नक्शा ट्रेश से स्पष्ट होता है कि पुराना खेसरा 464 से नया खेसरा उपरोक्त बहुत सारा निर्मित है जो हाल खतियान के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है। उक्त वाद मे वादी द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया है कि हाल खतियान किनके नाम प्रकाशित हुआ है और नया खेसरा सहित रकवा कितना है कही अभिलेख में नही दर्ज की गई है और अपना दावा वेवजह कर रहे है इससे साबित होता है कि वादी का दावा बहुत कमजोर है और वेबुनियाद हैं। प्रतिवादीगण अर्जी करते है कि सरकार द्वारा भी गरीब मजदुर के मकान बनाने के लिए 03 डि0 जमीन देने का धोषणा किये है जबकि हम गरीब प्रतिवादीगण को मात्र 03 डि0 पर ही मकान बना हुआ है और वह पुर्वज के समय से ही मकान मय सहन के रूप में दखल कब्जा चला आ रहा है। प्रश्नगत खेसरा पर प्रतिवादीगण के पुर्वज भी गुजर बसर कर चुके है साथ ही वादी का भी पुर्वज गुजर बसर कर रहे हैं उक्त खेसरा पर किसी भी तरह का कोई टिका टिप्पणी नही हुआ जो पुरे ग्रामिण द्वारा भी बताया जा सकता है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि वादी के पिता स्व0 कारी मुखिया को बजरिये बन्दोबस्ती वाद संख्या 16/1961–62 से प्राप्त है वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में बन्दोबस्ती संबंधी कागजात संलग्न किया गया है। प्रतिवादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पुराना खेसरा 464 से हाल खतियान में नया खेसरा 711, 712, 713, एंव 714 अनाबाद सर्व साधरण दर्ज है। जिसमें से नया खेसरा 711 पर वादी का मकानमय सहन है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के रूप में नया खतियान की छायाप्रति एवं नया पुराना खेसरा का तुलनात्मक नक्शा प्रस्तुत किया गया है। वाद की वास्तविक स्थिति के अवलोकन के लिए दिनांक 07.08.2013 को मेरे द्वारा अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के कम में पाया गया एवं स्थानीय लोगो चौहद्दीदारो एवं निकटवर्ती चौहद्दीदारो द्वारा बताया गया कि खेसरा नया 711 पर वादी का मकान है एवं अन्य तीन खेसरा 712, 713 एवं 714 पर प्रतिवादीगण का 50–60 वर्षो से मकान है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष के साथ वाद को खारिज करता है कि प्रतिवादी का प्रश्नगत भूमि के नया खेसरा 712, 713, एवं 714 पर वर्षो से मकान के रूप में दखल है एवं अंचलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्वयं स्थल निरीक्षण कर प्रश्नगत भूमि पर नियमानुकुल कारवाई करें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल